Date: 16.5.2022	**Publication:** Dainik Bhaskar (Hindi)
Page no.: 5	**Edition:** Chandigarh
Headline: Things You Should Follow If You Have Missed Renewing your Motor Insurance	

बीमा की बात

मोटर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया? 90 दिन के भीतर करा लें

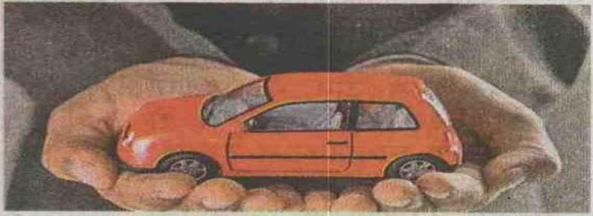

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बगैर आप सड़क पर वाहन नहीं उतार सकते। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस रिन्यू कराने की आखिरी तारीख हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन संभव है कि आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिन्यू कराने की आखिरी तारीख चूक जाएं। आइए जानते हैं कि ऐसे में क्या होगा...

मोटर इंश्योरेंस रिन्यू न होने के नुकसान

1. यदि कोई हादसा हो जाता है तो नुकसान की पूरी भरपाई अपनी जेब से करनी होगी।
2. गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 2,000 रु का जुर्माना और/या 3 माह की जेल हो सकती है।
3. यदि आप बगैर प्रभावी इंश्योरेंस के दोबारा गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो 4,000 रुपए का जुर्माना और/या तीन माह तक जेल हो सकती है।

डेडलाइन चूके, अब क्या करना होगा?

- कंपनी से संपर्क करके फौरन रिन्युअल कराएं।
- एजेंट से बीमा लिया हो तो उससे संपर्क करें।
- बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- मौजूदा कंपनी नापसंद है तो दूसरी से संपर्क करें।

नो क्लेम बोनस मिलेगा?

रिन्युअल की आखिरी तारीख चूक जाने के बाद भी पूरा नो क्लेम बोनस (एनसीबी) मिल सकता है। लेकिन आखिरी तारीख से 90 दिन के भीतर इंश्योरेंस रिन्यू कराना होगा। एनसीबी 20% से लेकर 50% तक हो सकती है।

आदित्य शर्मा, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर (रिटेल सेल्स), बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस